UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

'Vidyut Niyamak Bhawan', Near ISBT, PO-Majra, Dehradun- 248 171
PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

PUBLIC NOTICE

Inviting comments on the Draft UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) (First Amendment) Regulations, 2022

1. In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Commission has issued draft UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) (First Amendment) Regulations, 2022. The draft Regulation has been posted at the Commission's website **www.uerc.gov.in.**
2. Notice is hereby given inviting comments/suggestions/objections on the draft Regulation from all the stakeholders. These could be sent to the undersigned latest by **19.04.2022** by post or e-mail or in person at the above-mentioned address for Commission's consideration.
3. The comments/suggestions/objections received after the stipulated date in the Commission's office may not be considered while finalizing these Regulations.

Advt. No. 20/2021-22

Secretary

मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
Phone : 2976157, 2976158, 2607022
Web : www.ueppcb.uk.gov.in, E-mail: msukpcb@yahoo.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्रीमती खिमुली देवी पत्नी स्व. हरक सिंह कनवाल, ग्राम बनखोला, दुग बाजार, तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम भैरूचौबट्टा, तोक कुमलदेव, तहसील व जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल–2.710 है०, क्षमता–15226.00 टन पांच वर्ष हेतु) हेतु प्रस्तावित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर ; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक व्यक्ति/ संस्था द्वारा अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

श्रीमती खिमुली देवी पत्नी स्व. हरक सिंह कनवाल, ग्राम बनखोला, दुग बाजार, तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम भैरूचौबट्टा, तोक कुमलदेव, तहसील व जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल–2.710 है०, क्षमता–15226.00 टन पांच वर्ष हेतु) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 23.04.2022 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड–19 के संदर्भ में विद्यमान Sop के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सैनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियाँ एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

Times of India 24/3/2022

Shot on realme 1